3/यो0स०क०-38/2023 25

# बिहार सरकार
# समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

## स्वीकृत्यादेश
## (संख्या/2024-25)

प्रेषक,

**योगेश कुमार सागर,** (भा० प्र०से०),
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

**महालेखाकार,**
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 21.03.2025

**विषय:-** **वितीय वर्ष 2024-25 में समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत मैनेजमेंट इन्फोरमेंशन सिस्टम हेतु राज्य स्कीम मद में रू. 175.00 लाख (रू. एक करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 5724 दिनांक 27.11.2017 द्वारा राज्य में बच्चों, किशोरियों, महिलाओं में कुपोषणता को दूर करने हेतु विभिन्न अवयवों के लिए समेकित बाल विकास छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। वितीय वर्ष 2024-25 में समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत मैनेजमेट इन्फोरमेशन सिस्टम हेतु राज्य स्कीम मद में रू. 2412.31 लाख (रू. चौबीस करोड़ बारह लाख एकतीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 21 दिनांक 08.04.2024 द्वारा प्रदान की गई है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में तृतीय अनुपूरक से प्राप्त रू. 175.00 लाख (रू. एक करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

**(राशि लाख में)**

| **क्र0** | **योजना का नाम** | **विपत्र कोड** | **विषय शीर्ष** | **पूर्व में स्वीकृत राशि** | **अतिरिक्त स्वीकृत राशि** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत मैनेजमेट इन्फोरमेशन सिस्टम हेतु | (51-2235021020105) | 0105.28.02, | 2412.29 | 175.00 |
| ***योग*** **:- (रू. एक करोड़ पचहत्तर लाख)** | | | | | **175.00** |

**2** स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आईसीडीएस निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आईसीडीएस निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

**3.** उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश से राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

**4.** राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के पत्रांक **214/**वि० दिनांक 06.03.2024, 3576/वि0 दिनांक 01.04.24, **206/**वि० दिनांक 18.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

**5.** यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-38/2023 के टिप्पणी पृष्ट संख्या 05/टि0 पर दिनांक 19.03.25 को सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

**6.** प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**7.** यह चालू योजना है। अत: महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

21/3/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-38/2023 25 पटना, दिनांक- 21.03.2025

**प्रतिलिपि** - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/3/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-38/2023 25 पटना, दिनांक- 21.03.2025

**प्रतिलिपि** - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/3/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-38/2023 25 पटना, दिनांक- 21.03.2025

**प्रतिलिपि** – विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

21/3/25

संयुक्त सचिव